

व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :
एम०के० सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी ३५१३-एक/१५ विरुद्ध आदेश
दिनांक १९-१०-१५ पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण
क्रमांक ६१/अ-२१/२०१४-१५..

श्री कुवरलाल बरकड़े पिता मन्जूलाल बरकड़े
निवासी ३१, ग्राम हंसापुर
तहसील कुण्डम जिला जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

----- अनावेदक


श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, आवेदक ।

आदेश

(आज दिनांक २-११-२०१५ . को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक ६१/अ-२१/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक १९-१०-१५ के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९ (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा ५० के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ व्यायालय में अपने खामित्व की ग्राम टिकरिया प.ह. नं. ४ रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. ५४/२ रकबा १.०० हैक्टर के विक्षय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ने उक्त आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा ।


fj

अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। तहसीलदार ने जांच कर एवं उभयपक्षों के कथन लेकर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय का आवेदन निरस्त किया। जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क श्रवण किये गये। उनके द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम टिकरिया प.ह.नं. 4 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 54/2 रकबा 1.00 हैक्टर गैर आदिम जनजाति सदस्य श्री लोकेश सिंह पिता श्री जगजीवन सिंह को विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन में तहसीलदार द्वारा यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन

से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्य की गई है। कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्य की अनुमति देने से इंकार किया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम तहसीलदार कुण्डम के आदेश दिनांक 28-2-15 से प्रविष्ट किया गया है और उसके एक माह के भीतर ही आवेदक द्वारा भूमि विक्य का अनुबंध किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है और आवेदक के हितों के विरुद्ध है। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष व्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि क्य किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के एक माह बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को वर्ष 2015-16 की गाझड़ लाइन से अधिक प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्य से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्य की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार व्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-10-15 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि खामित्व की ग्राम टिकरिया प.ह.नं. 4 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 54/2 रकबा 1.00 हैक्टर के विक्य की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

- 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाझड़ लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।

- 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।
- 3- केता द्वारा विक्रयपत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विकेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा ।
- 4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से ३ माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है ।



(एम०क०० सिंह)

सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
गवालियर

